

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र सं०-०१/ए०जी०-भ०नि०(अग्रिम)-०५/१७- /क०, पटना, दिनांक , २०१७

प्रपक,

दिनेश कुमार

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला भविष्य निधि पदाधिकारी,
पटना।

विषय :-

श्री राम विनोद शर्मा, उप निदेशक (शष्य), बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना को उनकी पुत्री की शादी के निमित्त उनके सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या BHR/BAGS-1415 से 9,00,000.00 रु० (नौ लाख) रूपये मात्र अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति।

आदेय :-

वित्त विभाग के संकल्प सं०-242/12.02.2008 एवं अधिसूचना सं०-1127 दि०- 15.03.2017 के अन्तर्गत अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति।

1. बिहार भविष्य निधि (सशोधन-2) नियमावली के नियम 15 (1), 15 (2) (ख) तथा 15 (3) (ख) के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. राशि की निकासी बजट शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि-01-सिविल-0101 सामान्य भविष्य निधि-0001 सामान्य भविष्य निधिओं विपत्र कोड-एल- 8009011010001 के अन्तर्गत की जायेगी।
3. इस राशि की निकासी एवं भुगतान हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।
4. श्री राम विनोद शर्मा का Bank A/C No. 50100206315965 तथा IFSC HDFC 0009031 है।
5. महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की अनिवार्यता नहीं है।
6. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(दिनेश कुमार)

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/क० पटना दिनांक 2017

ज्ञापक
प्रतिलिपि :-

कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/क० पटना दिनांक 11/8/ 2017

ज्ञापक
प्रतिलिपि :-

3037

निदेशक, बिहार प्रमाणन एजेंसी, पटना को उनके पत्रांक 265 दि०-02.05.2017 के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/वित्त विभाग, प्रशाखा-4 को उनके पत्रांक-242 दिनांक-12.02.2008 के प्रसंग में/निदेशक भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।